न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 04/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/4)

1. गोरधनराम
2. तोलाराम
3. मामराज

पिसरान भोमाराम जाति जाट निवासी गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीदासर।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 19.07.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू) के निर्णय दिनांक 17.06.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार बीदासर जिला चूरू ने रास्ता सम्बन्धी अभियान 2021 में चालू आम रास्तो/कदीमी रास्तो/सड़को का राजस्व अभिलेख में अंकन करने की रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू से की। उक्त रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2022 द्वारा तहसीलदार बीदासर को राजस्व ग्राम कातर बड़ी में चालू रास्ते गै. मु. रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना सुनिश्चित करने को आदेशित किया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट्स की खातेदारी कृषि भूमि मौजारोही कातर बड़ी के खसरा नं. 138 तादादी 8.5742 हैक्टर स्थित है, जिसमें अपीलान्ट्स अलग अलग ढाणी बना कर

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

परिवार सहित निवास करते है तथा अपनी उक्त खातेदारी भूमि के चारो तरफ बाड़ की हुई है। मौके पर कभी भी उक्त वादगत भूमि में किसी प्रकार का कोई कदमी रास्ता ना तो था, ना ही प्रचलन मे रहा है। जिससे आदेश जैर अपील के द्वारा 0.0839 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा पूर्णतयाः इकतरफा है। आदेश जैर अपील से अपीलान्ट्स के खेत के बीचो बीच नया रास्ता कायम कर दिया, जिससे खेत दो भागो मे विभक्त हो जाता है, जिससे काश्त करना फसल की सार सम्भाल, सिचाई करने मे भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा । अपीलान्ट के खेत में से कभी भी रास्ता नही चला, ना ही चल रहा है। मात्र पश्चिम में चिपता खसरा नं. 88 को नाजायज लाभ देने के उदेश्य से अपीलान्ट के खेत को दो भागो में विभक्त कर दिया गया है। खसरा नं. 88 के काश्तकार का दक्षिण से उतर की ओर चलने वाला ग्राम कातर बड़ी से मसूरी को जाने वाले रास्ते से खेत मे आवागमन करने हेतु रास्ता उपलब्ध है। वर्षो से इसी रास्ते का उपयोग किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिस अधिसूचना सन् 2016 का सहारा लेकर आदेश जैर अपील पारित किया है। उसकी समयावधी काफी वर्ष पूर्व सामाप्त हो चुकी है। साथ ही इस अधिसूचना मे दी गई व्यवस्थाओ का पूर्ण एवं विधिक पूर्वक पालन नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दबाव में, साजिस पूर्ण तरीके से रास्ते के अंकन करने के आदेश जैर अपील पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार से सुनवाई नही की ओर ना ही किसी प्रकार का नोटिस दिया, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया गया। आदेश जैर अपील में अपीलान्ट्स की माता लूणी पत्नी भोमाराम का नाम भी अंकित है। लूणी देवी काफी अरसे पूर्व देहावसान हो चुका है। अतः अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील अपीलान्ट्स की हद तक निरस्त फरमाने, एवं आदेश जैर अपील के क्रम में राजस्व रेकार्ड व नक्शे में किये गये परिवर्तनो का पुनः स्थापित करने के आदेश फरमावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी बीदासर के निर्णय दिनांक 17.06.2022 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को अपील प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। परन्तु अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा –5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20.12.2022 अप्रार्थी के कर्मचारी से होना तथा दिनांक 21.12.2022 को नकल मिलने का कारण भी अंकित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के विरूद्व काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा– 5 मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार किये .जाने के आदेश दिये जाते है।

7. अपीलाधीन आदेश में खसरा नं. 138 के अतिरिक्त खसरा 134, 1215/136, 137, 318, 124, 131, 130, 1236/133, 115, 1002/116, 1001/116, 122, 123, में भी रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो कि कई खातेदारो हेतु स्वीकृत किया गया है। जिसमें अपीलान्ट के साथ अन्य खातेदार भी प्रभावित पक्षकार है जिनको अपीलान्ट द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। अतः पक्षकारो के असंयोजन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।